तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज प्रथम अपील, राकेश कुमार परमार बनाम लोक सूचना अधिकारी एंव(अति0जिला कलक्टर धौ0) सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 (मु0संख्या 78/2021) (जीसीएमएस न0 2021/181)	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुये
24-8-2021	अपीलान्ट अनुपस्थित। पैरोकार सरकार उपस्थित। अपीलान्ट ने यह प्रथम अपील सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अन्तर्गत लोक सूचना अधिकारी एंव अति0जिला कलक्टर धौलपुर द्वारा वांछित सूचना समय अवधि में उपलब्ध नहीं कराये जाने के कारण सूचना निःशुल्क उपलब्ध कराये जाने के सम्बध में पेश की है। लोक सूचना अधिकारी को अपील की प्रति भिजवाई जाकर उनसे टिप्पणी प्राप्त की गई। लोक सूचना अधिकारी एंव अति0जिला कलक्टर धौलपुर ने अपने पत्र कमांकः अपील/आरटीआई./2021–22/292 दिनांक 11.8. 2021 के द्वारा प्रस्तुत टिप्पणी/रिपोर्ट में अवगत कराया है कि अपीलार्थी श्री राकेश कुमार परमार द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत सूचना चाहने हेतु दिनांक 07.06. 2021 को आवेदन भिजवाया गया। उक्त आवेदन आवक शाखा के कमांक 5857 दिनांक 08.06.2021 से इस कार्यालय में प्राप्त हुआ। अपीलार्थी को कार्यालय के पत्रांक संपर्क/सूचना अधि. /2021/215 दिनांक 06.07.2021 से जरिये रजिस्टर्ड–डाक सूचना भिजवा दी गई है कि आप बिन्दु संख्या 01,03 व 04 की सूचना हेतु कुल राशि 172/–रू0 जमा कराते हुये चाही गई सूचना प्राप्त करें। अपीलार्थी का अपील में कथन है कि सूचना का अधिकार अधिनियम के अनुसार प्रतिलिपि शुल्क की मांग 1 माह के अंतर्गत की जा सकती है, जबकि मुझे (अपीलार्थी) यह सूचना 37 दिन बाद मिली है। इस आधार पर अपीलार्थी द्वारा वांछित सूचनाऐं निःशुल्क चाही गई है। इस कार्यालय द्वारा अपीलार्थी को सूचना हेतु पत्र 1 माह के भीतर भेजा गया है। अतः हमने लोक सूचना अधिकारी एंव अति0जिला कलक्टर धौलपुर द्वारा प्रस्तुत टिप्पणी/रिपोर्ट का अवलोकन किया अपीलार्थी द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के	

तहत सूचना चाहने हेतु दिनांक 07.06.2021 को आवेदन भिजवाया गया। उक्त आवेदन आवक शाखा के क्रमांक 5857 दिनांक 08.06.2021 से लोक सूचना अधिकारी एवं अति0जिला कलक्टर धौलपुर के कार्यालय में प्राप्त हुआ। अपीलार्थी को कार्यालय के पत्रांक संपर्क/सूचना अधि./2021/215 दिनांक 06.07.2021 से जरिये रजिस्टर्ड–डाक सूचना भिजवा दी गई है कि आप बिन्दु संख्या 01,03 व 04 की सूचना हेतु कुल राशि 172/–रू0 जमा कराते हुये चाही गई सूचना प्राप्त करें। इस प्रकार यह स्पष्ट होता है कि अपीलार्थी को सूचना हेतु पत्र 1 माह के भीतर भेजा गया है। अपीलार्थी बिन्दु संख्या 01,03 व 04 की सूचना हेतु कुल राशि 172/–रू0 जमा करा कर चाही गई सूचना प्राप्त कर सकते है। अतः प्रथम अपील, अपीलान्ट इसी स्तर पर निस्तारित की जाती है। प्रकरण में आगे कार्यवाही किया जाना उचित नहीं है। लोक सूचना अधिकारी एवं अति0जिला कलक्टर धौलपुर से प्राप्त रिपोर्ट की प्रति अपीलान्ट को उपलब्ध कराई जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफतर हो नम्बर से कम की जावे।

(आर0 के0 जायसवाल)
जिला कलक्टर, धौलपुर